

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक-13/अ0प्र0-01-02/2024

4841

पटना, दिनांक 23/08/24

प्रेषक,

आदित्य प्रकाश
सरकार के अवर सचिवा

सेवा में,

महालेखाकार
वीरचन्द पटेल पथ, बिहार, पटना।

विषय:- मांग संख्या-37 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु- उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105- रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित राशि ₹ 200000.00 लाख ₹0 (दो हजार करोड़) ₹0 के विरुद्ध राशि ₹ 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) ₹0 मात्र की राशि ब्राडा के पी0एल0/लेजर में संधारण हेतु व्यय की स्वीकृति के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संबंध में कहना है कि मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 2702 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद में वित्तीय वर्ष 2024-25 में प्रावधानित राशि ₹ 200000.00 लाख ₹0 (दो हजार करोड़) के विरुद्ध सम्प्रति निकासी की अधिसीमा के अधीन अवशेष राशि ₹ 58026.46355 लाख ₹0 (पाँच सौ अस्सी करोड़ छब्बीस लाख छियालीस हजार तीन सौ पचपन) ₹0 के अन्तर्गत मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं उनके घटक योजना अन्तर्गत पथों में कराये गये अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु राशि ₹ 3500.00 लाख (पैंतीस करोड़) ₹0 मात्र ब्राडा के MMGSY Maintenance New, Ledger ID- 406 में की व्यय की स्वीकृति प्रदान की जाती है। जिसका विपत्र कोड 37-3054041050001 है।

2- वित्त विभाग, बिहार, पटना के यथा निदेश एवं समय-समय पर बंधेज के अनुसार निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, पटना उक्त राशि की निकासी कर बिहार ग्रामीण पथ विकास एजेंसी [Bihar Rural Roads Development Agency] पटना के CFMS Deposit Account- PNBPLA004 (CTMIS PL Account-PLA239) के निर्धारित लेजर में संधारित करेंगे।

3- इस राशि का व्यय मांग संख्या-37 मुख्य शीर्ष-3054- सड़क तथा सेतु -उप मुख्य शीर्ष -04-जिला तथा अन्य सड़कें-लघु शीर्ष -105-रख-रखाव तथा मरम्मत-उपशीर्ष 0001-ग्राम सड़क- अन्य रख-रखाव व्यय के 27 02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद से विकलनीय होगा।

4- स्वीकृत राशि का व्यय मुख्यमंत्री ग्राम सम्पर्क योजना एवं उनके घटक योजना अन्तर्गत पथों में कराये गये अनुरक्षण कार्य के भुगतान हेतु स्वीकृत परियोजनाओं में ही किया जाएगा।

5- उक्त द्वारा उपलब्ध कराये गये राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित एजेन्सी के द्वारा महालेखाकार को भेजते हुए ग्रामीण कार्य विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे।

6- यह स्वीकृत्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 2561 वि० (2) दिनांक-17.04.1998 एवं पत्रांक ब-15/बी०एस०जी०-09/2024-214 दिनांक-06.03.2024 के आलोक में निर्गत किया जायेगा।

7- बिहार वित्तीय नियमावली (भाग-1) के नियम 475ए बजट मैनुअल एवं अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर निर्गत अनुदेशों को ध्यान में रखते हुये दृढ़तापूर्वक पालन किया जाए, ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

8- आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-02/2024 के पृष्ठ संख्या- 21/टि० पर दिनांक- 19.08.2024 को प्राप्त है।

9- इस राशि के व्यय की स्वीकृति माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग से संचिका संख्या-13/अ०प्र०-01-02/2024 के पृ०-22/टि० पर दिनांक- 22.08.2024को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक -13/अ०प्र०-01-02/2024

4841

/पटना, दिनांक 23/8/24

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, कोषागार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापक -13/अ०प्र०-01-02/2024

4841

/पटना, दिनांक 23/8/24

प्रतिलिपि:- माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ विशेष सचिव, के आप्त सचिव, ग्रा०का०वि०/ संबंधित जिला पदाधिकारी, बिहार/ सचिव, ब्राडा-सह-अभियंता प्रमुख, ग्रा०का०वि०/ सभी मुख्य अभियंता, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अभियंता प्रमुख का कार्यालय, ग्रा०का०वि०, बिहार, पटना/ सभी अधीक्षण अभियंता, ग्रा०का०वि०/ सभी कार्यपालक अभियंता, ग्रा०का०वि०/ संबंधित नोडल पदाधिकारी, ग्रा०का०वि०/ वित्त विभाग (बजट शाखा) एवं योजना एवं विकास विभाग (योजना शाखा), बिहार, पटना एवं प्रशाखा पदाधिकारी-12 (लेखा शाखा) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

सरकार के अवर सचिव

Sanctioning Order 2024-25

आर० २१० पं० ए०
कोषागार पदाधिकारी कोषागार

17